राज्य नगर नियोजन संस्थान
भोपाल मध्यप्रदेश

"कचनार" पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल–462016
फोन:0755–2466514, 2420658, Email: sitpbhopal@gmail.com

पत्र क्रमांक 3762 / जोनल प्लान / नियोजन   भोपाल, दिनांक 21/7/2022

प्रतियोगिता –अगस्त 2022
अंतिम तिथि 22.08.2022 शाम 5:00 बजे तक
प्रस्तुतिकरण तिथि 26.08.2022 दोपहर 12:00 बजे

प्रति,
राज्य नगर नियोजन संस्थान में सूचीबद्ध / अर्बन प्लानर / अर्बन प्लानर संस्था

विषयः–भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर निवेश अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान अनुसार जोनल प्लान तैयार करने हेतु अर्बन प्लानर / नगर निवेश / अर्बन प्लानर संस्था के चयन हेतु प्रतियोगिता बावत्।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3313 / जोनल प्लान / नियोजन दिनांक 01.06.2022

राज्य नगर नियोजन संस्थान साडा, वि.प्रा. एवं अन्य संस्थाओं को तकनीकी / वस्तुविदीय / नियोजन के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाऐं प्रदान करता है। इस बावत् विभिन्न योजनाओं के परामर्श हेतु संस्था में सूचीबद्ध सलाहकारों की सेवाऐं ली जाती है। इस हेतु श्रेष्ठ विकल्प प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य नगर नियोजन संस्थान में सूचीबद्ध सलाहकार / संस्थाओं (आगे जिन्हें इच्छुक आवेदक) कहा जायेगा के मध्य एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

1. **नगर निगम क्षेत्र में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान अनुसार जोनल प्लान तैयार करना**

   प्रस्तावित **जोनल प्लान** का विवरण एवं अनुमानित शुल्क निम्नानुसार है:–

प्रति जोनल प्लान

क.	जनसख्या	सलाहकार को देय राशि सभी कर सहित रुपये
1.	0 से पचास हजार तक	14.50लाख
2.	पचास हजार से उपर एक लाख तक	20.50 लाख
3.	एक लाख से उपर तीन लाख तक	24.00 लाख
4.	तीन लाख से उपर पाँच लाख तक	30.00 लाख
5.	पाँच लाख से उपर 10 लाख तक	36.00लाख
6.	दस लाख से अधिक	60.00 लाख

2. **इच्छुक आवेदक 4 नगरों में से अधिकतम् 2 नगरों हेतु ही अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कर सकता है।**

3 इच्छुक आवेदक को संबधित नगर पालिक निगम के अधिकारियों एवं संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय के अधिकारियों एवं राज्य नगर नियोजन संस्थान के सहयोग से नगर पालिक निगम क्षेत्र में जोनल प्लान बनाने हेतु सीमा का परिसीमन/परिक्षेत्र का निर्धारण प्रथमतः करना होगा।

4 इच्छुक आवेदक को जोनल प्लान बनाते समय मास्टर प्लान के सभी मानकों/प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन कर समावेश किया जाना आवश्यक होगा।

5 इच्छुक आवेदक को जोनल प्लान डिजिटल प्लेटफार्म पर GIS Based बनाना होगा एवं जोनल प्लान से संबधित कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।

6 इच्छुक आवेदक को कम से कम 2 समरूप कार्यों का अध्ययन कर समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना होगा।

7 क्षेत्रों के जोनल प्लान तैयार करते समय संबंधित संस्था के अधिकारियों द्वारा चाही गई समस्त जानकारी जैसे–विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण, आधुनिक सुविधाऐं पार्किंग आदि आवश्यक सुविधाओं का समावेश किया जाना होगा।

8 उपलब्ध शासकीय भूमि का उचित प्रबंधन/शासकीय भवनों का उचित उपयोग/पार्क/बगीचे की विस्तृत योजना तैयार करनी होगी।

9 संबंधित विकास योजना के भूमि उपयोग की समस्त जानकारी जैसे वन क्षेत्र, नदी, तालाब, नाले आदि का भी उचित प्रबंधन करना होगा।

10 संपूर्ण योजना से संबंधित प्रारंभिक प्रारूप प्लान भी प्रस्तुत करना होगा।

11 इच्छुक आवेदक को स्थल का निरीक्षण/प्रारम्भिक सर्वे कर नगर पालिक निगम कार्यालय से अद्यतन नियोजन/मानकों की जानकारी प्राप्त कर तदानुसार योजना की अवधारणा प्रस्तुत करनी होगी।

12 स्थलों एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी राज्य नगर नियोजन संस्थान/नगर पालिक निगम से प्राप्त की जा सकती है।

13 आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित योजना में नई निर्माण तकनीक का उपयोग करना, योजना का रूपांकन, आवश्यक प्रावधानों के अनुरूप ध्यान रखने की जबावदेही चयनित इच्छुक आवेदक की होगी

14 आवेदन हेतु आवश्यक अर्हताऐं:–

(A) इच्छुक आवेदक का राज्य नगर नियोजन संस्थान में अद्यतन पंजीकरण होना आवश्यक है।

(B) इच्छुक आवेदक की टीम में मुख्य रूप से Urban Planner, GIS Expert (minimum 5 year experience), स्थाई(नियमित वेतनभोगी) तकनीकी कर्मचारी व बाहर से संलग्न संबद्ध कितने कर्मचारी/अधिकारी है इत्यादि का विवरण आवश्यक है।

(C) इच्छुक आवेदक द्वारा समान प्रकार की योजना एवं लागत के कार्य अनुभव को मूल्यांकन प्रकिया में सम्मिलित किया जावेगा (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(D) इच्छुक आवेदक का पिछले 3 वित्तीय वर्ष की तुलना में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 50 लाख रूपये होना चाहिये। इच्छुक आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि टर्नओवर की पात्रता मानदंड के साक्ष्य के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट उनके तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(E) इच्छुक आवेदक को पिछले पांच वर्षों के दौरान क्लाइंट से प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा करनी आवश्यक है।

15 **चयन के मापदण्डः–**

(A) राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा गठित चयन समिति (ज्यूरी) मूल्यांकन के लिए प्रस्तुतिकरण इच्छुक आवेदक से प्राप्त करेगी एवं चयन हेतु अनुशंसा कार्यपालन संचालक को करेगी। अंतिम निर्णय कार्यपालन संचालक का रहेगा।

(B) चयन प्रकिया संलग्न परिशिष्ट–2 एवं बिंदु क्रमांक 1 से 11 तक अनुसार होगी।

16 राज्य नगर नियोजन संस्थान बगैर कोई कारण बताये किसी भी इच्छुक आवेदक को अमान्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

17 यदि उक्त प्रस्तुतिकरण में भाग लेना चाहते हैं तो इच्छुक आवेदक उल्लेखित बिंदुओं अनुरूप स्थल निरीक्षण करते हुए जोनल प्लान से संबंधित समस्त जानकारी संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर निर्धारित योजना मानकों के अनुसार अपनी अवधारणा को दिनांक 22.08.2022 को सायं 05:00 बजे तक राज्य नगर नियोजन संस्थान, पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल में प्रस्तुत कर सकते है, जिसमें 3 हार्ड कॉपीज 2 सार्फट् कॉपी पेनड्राइव में देना होगी। इसके अलावा कहीं और यदि Entry की जाती है तो यह मान्य नहीं होगी।

इस संबंध में राज्य नगर नियोजन संस्थान में गठित सलाहकार चयन समिति (ज्यूरी) की बैठक दिनांक 26.08.2022 को दोपहर 12:00 बजे से राज्य नगर नियोजन संस्थान, पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिसमें इच्छुक आवेदक द्वारा प्रस्तुतिकरण पॉवर पाइंट के माध्यम से होना है। इस प्रपत्र में उन न्यूनतम महत्वपूर्ण बिंदुओं का विवरण दिया गया है, जिन पर पॉवर पाइंट प्रस्तुतिकरण आधारित रहेगा।

प्रत्येक इच्छुक आवेदक को 20 मिनिट का समय प्रस्तुतिकरण हेतु दिया जायेगा। इस हेतु अब पृथक से पत्राचार नहीं किया जायेगा।

इच्छुक आवेदक से अपेक्षा है कि संस्था द्वारा दी गई आवश्यकताओं का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा अध्ययन एवं मौका निरीक्षण के उपरांत ही उपरोक्त निर्धारित तिथियों तक अपना प्रस्तुतिकरण समिति के समक्ष देवे, ताकि इच्छुक आवेदक का चयन किया जा सके।

18 स्थल निरीक्षण एवं योजना के विवरण के लिये योजनावार राज्य नगर नियोजन संस्थान/नगर पालिक निगम के अधिकारियों तथा संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय/सिटी प्लानर से संपर्क कर सकते है।

19 शुल्क का भुगतान ट्रायपार्टी अनुबंध अनुसार होगा। (प्रारूप अनुबंध चयन पश्चात उपलब्ध कराया जावेगा)

प्रस्तुतिकरण एवं संपर्क हेतु तालिका

स. क.	योजना का नाम	प्रस्तुतिकरण दिनांक	नग्रानि जिका के अधिकारी का नाम एवं मोबा. नम्बर	सहायक वास्तुविद / सहायक यंत्री (सिटॉप) का नाम एवं मोबाइल नम्बर
1	ग्वालियर भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर, नगर निगम क्षेत्र में नगर निवेश अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान अनुसार जोनल प्लान तैयार करने हेतु ।		1 नग्रानि जिका ग्वालियर – श्री व्ही.के. शर्मा मो. 9425776686 2 चीफ सिटी प्लानर भोपाल श्री नीरज आनंद लिखार मो. 9179089333 3 नग्रानि जिका जबलपुर – श्री विपुल माहुले मो. 9407083578 4 नग्रानि जिका इंदौर – श्री सारंग गुप्ता मो. 9977768192	श्रीमती वर्षाजैन, सहायक वास्तुविद, 9993374956 श्री एस.पी द्विवेदी सहायक यंत्री 9630671967

संलग्नः– परिशिष्ट–1,2

(राजेश नागल)
संचालक समन्वय
राज्य नगर नियोजन संस्थान
भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक /सिटॉप/2022 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 आयुक्त, नगर पालिक निगम ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर।
2 नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर।
3 चीफ सिटी प्लानर, भोपाल एवं इंदौर की ओर सूचनार्थ।
4 श्री अनिल राठौड, ट्रेसर कृपया इस पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें एवं राज्य नगर नियोजन संस्थान में सूचीबद्ध सलाहकारों को ईमेल एवं दूरभाष करना सुनिश्चित करें।

संचालक समन्वय
राज्य नगर नियोजन संस्थान
भोपाल मध्यप्रदेश

Mail— sitpbhopal@gmail.com, Web--http://www.sitop.org.in, Mob-- 9926030186

परिशिष्ट–1

चयन समिति द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण आवश्यकता से संबंधित बिंदुओं की सूची:–

(1) इच्छुक आवेदक को जोनल प्लान, डिजिटल प्लेटफार्म पर GIS Besed से संबंधित कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।

(2) स्थल निरीक्षण का दिनांक

(ए) प्लान/मुख्य फीचर्स/प्लान

(बी) मार्ग (वर्तमान व प्रस्तावित)

(सी) विकास योजना के सभी नियोजन मानको/प्रावधान मापदण्ड।

(3) संबंधित नगर पालिक निगम रिक्वायरमेंटस् व उसका विश्लेषण/प्रस्तुतीकरण।

(4) ले–आउट स्केल उपयुक्त स्केल पर (उपयुक्तता के आधार पर)

(5) इनोवेटिव डिजाईन/प्रोविजन ऑफ धारा 20 के प्रावधान अनुसार जोनल प्लान

(6) लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स मिनिमम रिक्वायर।

(ए) साइट प्लान/लोकेशन प्लान

(7) उपरोक्त 3 हार्ड (रंगीन) प्रति व 2 पेनड्राइव में भेजे।

(8) पॉवर पाइंट प्रस्तुतिकरण में अधिकतम सीमा 20 मिनिट रहेगी।

परिशिष्ट–2

नगर निगम क्षेत्र में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान अनुसार जोनल प्लान		
S.N.	Criteria	Score
1	Urban planner, (minimum 5year experience) in Urban Planning,	10
2	Urban designer	10
3	G.I.S. Expert	10
4	Employees on regular role	10
5	Associate technical staff	5
6	Surveyor	5
7	Completed project cost Rs.25.00 to 50.00 Lakh. 1 marks Successfull Completion of zonal planning project (2 marks for 1 project, Remaining 2 marks will be awarded proportionally as per the no. of projects up to maximum of 2 projects i.e. 1 marks for each projects)	5
8	Study of similar project of other state	5
9	Knowledge of zonal plan act of the state of M.P.	5
10	Power point Presentation, (proposal) as per requirements town	20
11	Procedure for preparation of zonal plan/ Broad proposal	15
	Total	100

Note:- Marking will be done separately for each town.